राजभाषा हिन्दी व्यवस्था एवं विकास

राजभाषा से तात्पर्य है शासक अथवा राज्य अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय शासन व्यवस्था का मूल आधार संविधान है। अतः इसे संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलो तथा न्यायिक कार्यकलापो हेतु स्वीकुत भाषा भी कहा जाता है।

राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में भेद

1. राष्ट्रभाषा सम्पूर्ण राष्ट्र के अधिकांश जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकांश भागो में जिस भाषा में आपसी बातचीत, विचार विमर्श और लोक व्यवहार करते है।

   जबकि राजभाषा का प्रयोग राजकीय, प्रशासनिक तथा शासकीय, कर्मचारियो एवं अधिाकारियो द्वारा राजकीय कार्यकलापो हेतु किया जाता है

2. राष्ट्रभाषा का शब्दभंडार देशों की विविध बोलियो, उपभाषाओ आदि से समृद्ध होता है। उसमें लोक प्रयोग के अनुसार नवीन शब्दो का समावेश होता रहता है।
   जबकि राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित संरचना से आबद्ध तथा प्रयोजन विशेष के लिए निर्धारित प्रयुक्तियों तक ही सीमित होता है।
3. राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक, उन्मुक्त तथा स्वछन्द शैली में होता है।

   जबकि राजभाषा औपचारिकता की मर्यादा सीमाओ में बंधी रहती है।

4. राष्ट्रभाषा सम्पूर्ण राष्ट्र के जन मानस के विचार, संस्कृति, विश्वास, धर्म, समाज, जीवन शैली को साकार करती है।

   जबकि राजभाषा वैधानिक आवरण धारण किये रहती है। इसमें अधिकतर प्रशासकीय, कानूनी और संवैधानिक नियम विधान, विधि निषेध एवं उनसे सम्बन्धित विवेचन विश्लेषण किया जाता है।

5. राष्टभाषा का प्रयोग समस्त राष्ट में स्वाभाविक रूप से किया जाता है। जबकि राजभाषा का प्रयोग कार्यालयों तक ही सीमित रहता है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी

क. संवैधानिक स्थिति– भारतीय संविधान के भाग 5,6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग–17 में इस संबंध में विस्तार से विवरण दिया गया है। इस भाग का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में चार अध्याय हैं जो कमशः संघ की भाषा प्रादेशिक भाषाओ, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायलयो आदि की भाषा तथा विशेष निर्देशो से संबंधित हैं। ये चारो अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 तथा 210 में संसद एवं विधानमंडलों की भाषा के संबंध में उल्लेख है। इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत निम्नाकिंत प्रावधान हैं–

1. संसद का कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिन्दी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति उसे मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। या अंग्रेजी वाला अंश 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है।
2. राज्य विधानमंडल का कार्य राज्य की राजभाषा की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
3. संघ की राजभाषा (official language) हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि इसे राजभाषा की मान्यता प्राप्त है।
4. अनुच्छेद 344 हिन्दी के प्रयोग के प्रसार हेतु राष्ट्रपति द्वारा 05, 10 वर्षो बाद आयोग गठित करने का प्रावधान करता है।

5. अनुच्छेद 348 में प्रावधान है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करें तब तक निम्नाकिंत कार्यवाहियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे–
   – उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां
   – संसद तथा राज्य विधानमंडलो में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन
   – अधिनियम एवं अध्यादेश
   – आदेश, नियम, विनियम और उपविधियां
6. अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत संघ अर्थात केन्द्र सरकार को हिन्दी भाषा के प्रसार एवं विकास का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है।
7. आठवीं अनूसूची में 22 भाषाएं है जिसमें हिन्दी भी है।

राजभाषा हिन्दी की प्रगति हेतु उठाये गये कदम

संविधान के कियान्वयन के पश्चात राजभाषा के प्रयोग तथा प्रगति के संबंध में निम्नाकिंत महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं–

क. राष्ट्रपति का आदेश 1955

इस आदेश में प्रशासनिक कार्यो तथा जनता के साथ पत्र व्यवहार में अंग्रेजी के साथ हिन्दी को बढावा दिये जाने का उल्लेख या किन्तु यह भी अंश सम्बद्ध था कि प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी ही माना जायेगा।

ख. राजभाषा आयोग 1955

अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति ने एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने राजभाषा हिन्दी के विकास हेतु निम्नांकित प्रमुख सुझाव प्रदान किए है–

– पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण।

– हिन्दी क्षेत्र के विद्यार्थी एक और भाषा विशेषतः दक्षिण भारत की सीखें।

– 14 वर्ष तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिन्दी का ज्ञान।

– प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी का एक अनिवार्य प्रश्नपत्र।

– उच्च न्यायलयो में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग।

– देवनागरी लिपि का विकास अखिल भारतीय लिपि के रूप में।

– भारत की भाषाओं में निकटता लाने का प्रयास।

इन सुझावो को परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 में निम्नाकिंत सुझाव प्रदान किये –

– 45 वर्ष से उपर के कर्मचारियो का हिन्दी से छूट

– उच्च न्यायलयों के आदेशो की भाषा अंग्रेजी ही रहे।

– केन्द्रीय सेवाओ में परीक्षाओ का माध्यम अंग्रेजी ही रहे।

– 1965 के पश्चात् हिन्दी प्रधान भाषा हो जाये।

राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त राष्ट्रपति ने निम्नाकिंत प्रावधानों के साथ आदेश पारित किया–

–45 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियो हेतु हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य

– अखिल भारतीय सेवाओ हेतु अंग्रेजी माध्यम

– हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए स्थायी आयोग का गठन

– अधिकांश के निर्माण हेतु प्रचार की व्यवस्था करे

– शिक्षा मंत्रालय हिन्दी के प्रचार की व्यवस्था करे

– राजकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करें।

इस आदेश के परिणाम स्वरूप दो आयोगो की स्थापना की गई। प्रशासनिक तथा विधि साहित्य का अनुवाद होने लगा तथा कर्मचारियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ हुई।

ग. <u>राजभाषा अधिनियम 1963, 1967 से संशोधित</u>

संविधान के उपबंधो के अनुसार 1965 में हिन्दी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था, परन्तु अहिन्दी क्षेत्रो विशेषतः पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु में हिन्दी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। इन परिस्थितियों में इस अधिनियम में निम्नाकिंत प्रावधान किए गए–

1. 26 जनवरी 1965 के पश्चात भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा।
2. उच्च न्यायालयों के निर्णयो में हिन्दी या किसी राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।
3. संघ के संकल्पो, अधिसूचनाओं, विज्ञापनो आदि को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा।
4. जब तक अहिन्दी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा।

1967 में संशोधित इस अधिनियम के पश्चात अहिन्दी भाषी क्षेत्रो की चिन्ता तो समाप्त हो गई किन्तु उन लोगों की चिन्ता में और अधिक वृद्धि हो गई जो हिन्दी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इन परिस्थितियों में 1968 में संसद के दोनो सदनो ने एक संकल्प पारित किया। जिसमें हिन्दी के तीव्र विकास हेतु कार्यकम, त्रिभाषा सूत्र अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन, केन्द्रीय सेवाओ हेतु हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो का ज्ञान आवश्यक, आठवीं अनुसूची की समस्त भाषाओ के समवन्य का कार्यकम जैसे प्रावधान स्वीकार किये गये।

भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। इसी मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग ने 1976 में राजभाषा नियम निर्धारित किए। इनमें प्रमुख है–

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को क, ख तथा ग वर्ग में विभाजित किया गया। <u>क वर्ग</u> में वे राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिन्दी है उ0प्र0, म0प्र0, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। <u>ख वर्ग</u> में वे राज्य आते हैं जिनमें हिन्दी समझी जाती है किन्तु पहली भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है– पंजाब, गुजरात, महाराष्ट, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ, अण्डमान निकोबार। ग वर्ग में शेष सभी राज्य आते है।

इन सभी राज्यों में प्रायः हिन्दी नही समझी जाती है।

– क वर्ग क्षेत्रो के साथ हिन्दी का प्रयोग हो। ख वर्ग के साथ पत्राचार सामान्यतः हिन्दी में हो। ग वर्ग के साथ अंग्रेजी में ही हो।

– हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में ही देना होगा।

– सभी पत्रावलियां हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओ में साथ साथ निकाले जायेगें

राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा

संविधन लागू होने के पश्चात् से आज तक हिन्दी की प्रगति मात्रात्मक रूप से कुछ हुई है किन्तु गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। इस स्थिति के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं

1. केन्द्रीय तथा सरकारी कार्यालयो में हिन्दी के प्रति सामान्य रूप से उदासीनता की स्थिति है, कहीं कहीं यह स्थिति विरोध की है।
2. राजनैतिक दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव है। जर्मनी, रूस, इजराइल, बांग्लादेश आदि राष्ट्रो ने स्वतंत्रता के उपरान्त अपनी भाषा को मान्यता एवं सम्मान प्रदान किया।
3. भारत एक बहुभाषीय देश है। समस्त भाषाओ की अपनी संस्कृति है। अतः इन समस्त भाषाओं का सम्मान एवं संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए हिन्दी का राजभाषा का स्तर प्रदान करने हेतु कोई सर्वकाय व्यवस्था नही है।
4. हिन्दी को राजभाषा के रूप में विकसित करने हेतु जिन संस्थाओ ने अपने कार्य हेतु गम्भीरता से प्रयास नहीं किया और न ही व्यवस्थाओ आदि को भली भांति कियान्वित किया गया जैसे– केन्द्रीय हिन्दी समिति, प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात आयोग के गठन का प्रावधान, व्यवहार संबंधी नियमो में अनिवार्यता का अभाव।
5. अव्यवहारिक नियमो का निर्माण जैसे अहिन्दी भाषी राज्यो के मध्य सहमति न होने तक हिन्दी को राजभाषा न बनाने का प्रावधान
6. राजभाषा संबंधी संस्थाओ को दायित्व वो प्रदान किए गए किन्तु अनुपालन हेतु शक्ति प्रदान नहीं की गई है।
7. हिन्दी को भाषा के रूप में विकसित नहीं की गई। सरल एवं प्रगतिशील शब्दकोष का विकास, विभिन्न भाषाओं के मध्य समन्वय का प्रयास आदि।

राजभाषा हिन्दी का भविष्य

यद्यपि राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास हेतु सरकार के द्वारा प्रयास किये गये है किन्तु निम्नाकिंत सुझावो से हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी

1. त्रिभाषा सूत्र को सकियता से लागू किया जाये। इसके साथ ही उत्तर भारत के नेताओ को दक्षिण या उत्तर पूर्व की कोई भाषा सीखकर आत्मीयता का भाव जागृत करना चाहिए।
2. प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा में ही मिलना चाहिए। दूसरी भाषा के तौर पर उसे भारत की दूसरी भाषा सीखनी चाहिए।
3. सरकारी सेवाओं भर्ती अथवा प्रशिक्षण के समय हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
4. हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त हिन्दी में ही कार्य करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अनुपालन हेतु दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. हिन्दी में अनुवाद या नये शब्दो का निर्माण एवं समावेश करते हुए इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि नवीन प्रयोग स्वाभाविक एवं सुन्दर हों
6. राजभाषा विभाग को राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन हेतु व्यापक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।
7. हिन्दी प्रदेशो का समस्त प्रशासनिक कार्य हिन्दी में ही होना चाहिए।
8. हिन्दी का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास तीव्रता तथा निपुणता से किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान युग की मशीनीकृत तथा कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का सामंजस्य स्थापित किया जा सके।